जुड़िए हमसे... पर @risingindore.news 0731-4032200

Inside page 07

राइजिंग इन्दौर

सच का सारथी

इंदौर, बुधवार, 5 मार्च 2025

वर्ष -12, अंक-10

मूल्य 2 रूपए, पेज- 8

एक्शन में आ गया आईडीए

ड्राइव इन सिनेमा फिल्म लगने के पहले ही हो गया दी एंड...

निरंजनपुर की 500 करोड रुपए कीमत की जमीन पर ड्राइव इन सिनेमा के नाम पर लगने वाली फिल्म पूरी बन पाती उससे पहले ही उसका द एंड हो गया। इंदौर विकास प्राधिकरण एक्शन में आ गया। प्राधिकरण ने इंदौर नगर निगम को उसकी गलती बताई। निगम ने भी बिना लाग लपेट के अपनी गलती को माना और विकास अनुमति को निरस्त कर दिया।

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर विकास प्राधिकरण की स्कीम 114 पार्ट 2 निरंजनपुर की 500 करोड़ से अधिक कीमत की 3.318 हेक्टेयर जमीन पर गुपचुप होने वाले निर्माण कार्य का खुलासा गत दिनों हुआ। इसके बाद दूसरा खुलासा हुआ कि इस बेशकीमती जमीन पर हाईकोर्ट के स्टे के बाद भी नगर निगम इंदौर की कॉलोनी सेल ने विकास मंजूरी ही जारी कर दी। इन खुलासे के बाद आईडीए ने नगर निगम को विकास मंजूरी निरस्ती का पत्र लिखा और अब सोमवार शाम को निगम ने यह विकास मंजूरी निरस्त कर दी है।

इस मामले में आईडीए के सीईओ आरपी अहिरवार ने तत्काल एक्शन ली और पहले तो काम रुकवाया और फिर इसकी फाइल खुलवाई। वहीं यह खुलासा भी हुआ कि आवेदकों ने हाईकोर्ट स्टे के बाद भी डीम्ड टीएएनसीपी और डीम्ड डायवर्सन के आधार पर यहां विकास मंजूरी ली है। इस खुलासे पर आईडीए सीईओ ने नगर निगम को पत्र लिखा और विकास मंजूरी निरस्त करने की मांग की। निगमायुक्त शिवम वर्मा ने इसकी जांच तत्काल अपर आयुक्त आईएएस रोहित सिसोनिया को दी। नगर निगम ने अब तख्तानी परिवार को मिली विकास मंजूरी निरस्त कर दी है।

नगर निगम ने आदेश जारी किया है कि आवेदक रेवाचंद पिता सेवाराम, लालचंद्र पिता सेवाराम, राजकुमार पिता सेवाराम, कन्हैयालाय पिता सेवाराम, प्रकाश पिता सेवाराम सभी निवासी 189 पलसीकर कॉलोनी द्वारा टू निरंजनपुर सर्वे नंबर 416/4, 416/4, 417/2, 417/3 की 3.176 हेक्टेयर भूमि में से 20 हजार 290 वर्गमीटर पर आवासीय सह वाणिज्यिक प्रयोजन के संबंध में विकास मंजूरी ली थी। यह विकास मंजूरी रिट पिटीशन 8176/2014 में 27 जनवरी 2016 को पास आदेश के क्रम में 21 मार्च 2018 को जारी हुई थी। इस मामले में सामने आया है कि विकास मंजूरी जब ली गई तब रिट पिटीशन 3479/2015 में एक जून 2015 को पास आदेश के तहत स्टे था। वहीं टीएएनसीपी से नक्शा पास नहीं था यह डीम्ड था और डायवर्सन भी स्पष्ट नहीं होकर डीम्ड था। अतः मार्च 2018 की विकास मंजूरी को निरस्त किया जाता है।

10 मार्च को होना है सुनवाई...

इस मामले में 10 मार्च को सुनवाई भी होना है। लेकिन इस स्टे के बाद भी नगर निगम द्वारा 21 मार्च 2018 को आवेदक रेवाचंद्र पिता सेवाराम तख्तानी, लालचंद्र पिता सेवाराम, राजकुमार पिता सेवाराम, कन्हैयालाल पिता सेवाराम, प्रकाश पिता सेवाराम को विकास मंजूरी जारी कर दी गई। वहीं विकास मंजूरी में साफ है कि टीएएनसीपी इंदौर से तो नक्शा ही मंजूर नहीं हुआ। इसमें आवेदक ने टीएंडसीपी में नक्शा पास के लिए लगाया, और तय तारीख तक पास नहीं होने पर डीम्ड परमीशन मानी गई और वहीं निगम के आवेदन में लगा दी गई। हद तो यह है कि यहां पर तो डायवर्सन भी विधिवत कलेक्टोरेट एसडीएम से जारी नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए भी आवेदन लगा और डीम्ड परमीशन मानकर निगम में यह सभी डीम्ड परमीशन के आवेदन लगा दिए। इसी के आधार पर ही निगम ने विकास मंजूरी भी जारी कर दी थी।

अभी नहीं टूटेगा पूरा BRTS

1 महीने में निगम टेंडर जारी कर एजेंसियों को देगा तोड़ने का ठेका

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा ग्रीन सिग्नल दे दिए जाने के बावजूद अभी पूरा बीआरटीएस नहीं तोड़ा जाएगा। अगले 1 महीने के अंदर निगम के द्वारा टेंडर जारी कर इसे तोड़ने का ठेका निजी एजेंसियों को दिया जाएगा। उसके बाद में यह कॉरिडोर पूरा तोड़ा जाएगा।

वैसे तो नगर निगम के द्वारा शुक्रवार की रात को 11.00 बजे से बीआरटीएस के कॉरिडोर को जीपीओ चौराहा से तोड़ने के काम की शुरुआत कर दी गई है। निगम की ओर से घोषणा तो यह की गई थी कि एक साथ जीपीओ के साथ ही नौलखा चौराहे से भी इस कॉरिडोर को तोड़ा जाएगा। अभी निगम के द्वारा जीपीओ चौराहा से लेकर शिवाजी वाटिका चौराहा तक के कॉरिडोर से जालीयां निकालने का काम किया जा रहा है। यह काम स्मार्ट सिटी कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है। इस बारे में पूछे जाने पर स्मार्ट सिटी कंपनी के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी दिव्यांक सिंह ने बताया कि अभी तो केवल बॉटल नेक वाला स्थान होने के कारण इस स्थान से बीआरटीएस के कॉरिडोर को हटाने का काम किया जा रहा है। इस पूरे 11.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को निगम खुद नहीं हटा सकता है। इस काम के लिए अगले कुछ दिनों के अंदर टेंडर जारी किया जाएगा। इस टेंडर के माध्यम से एजेंसी फाइनल की जाएगी और फिर उसे एजेंसी को कॉरिडोर को तोड़ने का कार्य सौंपा जाएगा।

शेष पेज 2 पर

राइजिंग इंदौर अब risingindore.com और MAGZTER.com पर डिजिटल रूप में भी उपलब्ध...

सुपर कॉरिडोर पर प्राधिकरण खर्च करेगा 126 करोड़

कॉरिडोर पर 31 हाई राइज बिल्डिंग के निर्माण का नक्शा मंजूर

इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा सुपर कॉरिडोर के अधूरे पड़े कामों को पूरा करने पर 126 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। इस कॉरिडोर पर 31 हाई राइज बिल्डिंग के निर्माण के नक्शे मंजूर हो गए हैं। इसमें से कुछ बिल्डिंग का निर्माण भी शुरू हो गया है तो कुछ का निर्माण शुरू होने की ओर है।

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

आईडीए के महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट सुपर कॉरिडोर ने विकास की रफ्तार पकड़ ली है। टीसीएस व इंफोसिस जैसी बड़ी आइटी कंपनी के बाद अब क्षेत्र में और रौनक बढ़ने जा रही है। 31 प्लॉट धारकों ने हाई राइज बिल्डिंग का नक्शा पास करा लिया है। कुछ पर काम शुरू हो गया है तो कुछ पर होने जा रहा है। इधर, आईडीए ने अपने बड़े प्लॉटों को बेचने की तैयारी कर ली है, जिसे जीआइएस भोपाल में भी रखा गया। डेढ़ दशक पहले आईडीए ने सुपर कॉरिडोर का निर्माण किया था, जिस पर जल्द ही मेट्रो ट्रेन चलने वाली है। हालांकि क्षेत्र में अभी टीसीएस और इंफोसिस के अलावा कोई बड़ी कम्पनी, बड़ा निर्माण व बसाहट नहीं है, लेकिन अब बदलाव नजर आने वाला है। पिछले कुछ समय में कॉरिडोर के बड़े प्लॉट धारकों ने खासी रुचि दिखाई है। उन्होंने टीएंडसीपी से हाई राइज बिल्डिंग के नक्शे पास कराए हैं। पिछले दिनों आईडीए ने जब सूची निकली तो 31 का आंकड़ा सामने आया। इसमें से कई जगहों पर काम शुरू हो गया है, जिसमें ताज जैसी बड़ी होटल के लिए तैयार होने वाली बिल्डिंग भी शामिल है।

अस्पताल भी होगा तैयार

टीएंडसीपी ने सुपर कॉरिडोर की योजना 139, 151, 166, 169 ए और बी में करीब 31 नक्शे पास किए हैं। उसमें दो-चार का तो रिन्युअल किया गया। पास किए गए नक्शों में अस्पताल के अलावा अधिकांश हाई राइज बिल्डिंग्स हैं तो आईएसबीटी के भी दो नक्शे हैं।

स्टार्टअप पार्क व कन्वेंशन सेंटर से चमन होगा क्षेत्र

भोपाल की जीआईएस(जीआईएस) में आईडीए ने 28 बड़े प्लॉट निवेशकों के सामने रखे थे, जिसमें 23 सुपर कॉरिडोर के थे। इसके अलावा पीपीपी मॉडल पर स्टार्टअप पार्क और कन्वेंशन सेंटर बनाने का प्रेजेंटेशन रखा, बड़ी संख्या में निवेशकों ने रुचि भी दिखाई।

अधूरे काम हो रहे है पूरे

सुपर कॉरिडोर के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए आईडीए ने प्लान तैयार किया है, जिसमें 126 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्षेत्र में कुल 61.69 किमी सड़क बननी थी, जिसमें से 55.03 ही बन पाई। बची 8.66 किमी सड़क को बनाया जा रहा है। कुछ चौराहों का निर्माण होगा तो नर्मदा की लाइन डाली जाएगी।

अच्छा प्रतिसाद मिला

सुपर कॉरिडोर के विकास और वस्तुस्थिति की जानकारी निकाली गई थी। टीएंडसीपी से 31 नक्शे पास हो चुके हैं, जिनमें से अधिकांश बहुमंजिला भवन के हैं। जीआईएस में 23 प्लॉट के साथ पीपीपी मॉडल पर स्टार्टअप पार्क व कन्वेंशन सेंटर को बनाने का प्रपोजल रखा गया था, जिसका अच्छा प्रतिसाद मिला है।

-आरपी अहिरवार, सीईओ आइडीए

अभी नहीं टूटेगा पूरा BRTS

पेज 1 से जारी...

उन्होंने बताया कि पूरे कॉरिडोर को तोड़ने का काम केवल एक एजेंसी को नहीं दिया जा सकता है। अब योजना तैयार की जा रही है कि इस कॉरिडोर को तीन या चार हिस्से में अलग-अलग विभक्त कर दिया जाए। फिर हर हिस्से का काम अलग-अलग एजेंसी को सौंप दिया जाए। ताकि यह कॉरीडोर तेजी से हटाया जा सकें।

कॉरिडोर को तोड़ने से होगी निगम की कमाई

नगर निगम के द्वारा बीआरटीएस के कॉरीडोर को तोड़ने के लिए जो योजना तैयार की गई है उससे उसे करोड़ों रुपए की कमाई होने की उम्मीद है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि कॉरिडोर को तोड़ने से निकलने वाला मलबा और जाली तोड़फोड़ करने वाले ठेकेदार की ही होगी। इसके साथ ही इस कॉरिडोर में बनाए गए बस स्टैंड भी तोड़ दिए जाएंगे। इस बस स्टैंड में जो आधुनिक मशीन लगी हुई है वह मशीन ठेकेदार को निकाल कर सिटी बस कंपनी को देना होगी। बस स्टैंड का बाकी का सारा हिस्सा ठेकेदार का ही होगा। टेंडर के माध्यम से नगर निगम के द्वारा तोड़फोड़ करने के इच्छुक ठेकेदारों से ऑफर मांगा जाएगा की वह इस तोड़फोड़ और मलबे के एवज में निगम को कितनी राशि देंगे। जो निगम को ज्यादा राशि देगा उसे इस कार्य का ठेका दे दिया जाएगा।

11 साल बाद गांवो में पहुंचने लगी मूलभूत सुविधाएं

2014 में शहरी सीमा में शामिल हुए 29 गांव विकास की ओर
सोलर एलईडी से लैस हाईमास्ट से चमकेगा गांव का हर चौराहा
900 करोड़ के विकास कार्यों को मोहन सरकार की हरी झंडी

राइजिंग इन्दौर
■ विपिन नीमा

इंदौर। इंदौर नगर निगम सीमा में शामिल हुए 29 गांवों में अभी भी कई तरह की समस्याएं हैं। इन गांवों को शहरी सीमा में शामिल हुए एक दशक हो गया है लेकिन आज भी इन गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। 2014 को इंदौर नगर पालिका निगम में शहर के लगे 29 गांवों को शहरी सीमा में शामिल किया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, नर्मदा की लाइन, ड्रेनेज जैसी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा सकी हैं।

निगम सीमा में आएं ये गांव 10 वार्डों में तब्दील हो गए है। अब इन गांवों को विकसित करने के लिए नगर निगम ने पिछले दिनों लगभग 900 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट बनाकर नगरीय प्रशासन विभाग को भेजा है। प्रारभिक चरण का काम प्रारंभ हो गया है। इसमें 29 गांव के 29 चौराहे सोलर एलईडी से लैस हाईमास्ट से जगमगाएंगे। 29 चौराहों पर 29 हाईमास्ट लगाने के लिए नगर निगम 1।40 करोड़ खर्च करेंगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर निगम ने टैंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है।

हर गांव का प्रमुख चौराहा हाईमास्ट से जगमगाएंगा

बताया गया है की 29 गांवों के विकास कार्यों के अन्तर्गत नगर निगम इन सभी गांवों के एक प्रमुख चौराहे को जगमग करने के लिए सोलर एलईडी से लैस हाईमास्ट लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए निगम बारी बारी से हर गांव के प्रमुख चौराहे पर यह हाईमास्ट लगाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर निगम ने टैंडर प्रक्रिया पूरी करने के साथ वर्क आर्डर की तैयारी चल रही है। बताया गया है की 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 29 हाईमास्ट लगाए जाएंगे। गांवों के अन्य विकास कार्य निगम के अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।

प्रोजेक्ट भोपाल भेजा

पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शहर के विकास कार्यों की समीक्षा करने आए थे, तब उनके सामने भी 29 गांवों में लोगों को मूलभूत सुविधा न मिलने का मुद्दा उठा था। इस पर उन्होंने

कार्ययोजना बनाकर भोपाल भेजने का कहा था। इसके बाद निगम ने 29 गांव के वार्डों का सर्वे कर विकास कार्य करने का प्रोजेक्ट बनाया और फिर इस प्रोजेक्ट को कलेक्टर के माध्यम से भोपाल भेज दिया है। तकरीबन 850 से 900 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट बनाया गया है।

स्ट्रीट लाइट और स्टार्म वाटर लाइन

850 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के तहत 300 करोड़ रुपए ड्रेनेज की पाइप लाइन डालने पर खर्च होंगे। 29 गांव के वार्डों की कई कॉलोनी- मोहल्लों में ड्रेनेज की लाइन नहीं है। बाकी के पैसे सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और स्टार्म वाटर लाइन डालने का काम होगा। वैसे, इस प्रोजेक्ट के मंजूर होने के पहले निगम अपने स्तर पर 4 करोड़ रुपए खर्च कर 29 गांव के वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाकर रोशनी करेगा। स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर टेंडर बुलाए जा रहे हैं। प्रयास है कि पिछले 10 वर्ष से मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे लोगों को सारी सुविधा मिल सके।

3 महीने के लिए बंद होगा मालवा मिल से पाटनीपुरा जाने का रास्ता

अगले कुछ दिनों में शुरू होगा नए पुल के निर्माण का काम

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर मालवा मिल चौराहा से पाटनीपुरा चौराहा तक जाने वाला रास्ता अगले 3 महीने के लिए बंद किया जाएगा। इस रास्ते पर स्थित पुल का निर्माण अगले कुछ दिनों में शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

इंदौर नगर निगम के द्वारा मालवा मिल चौराहा से पाटनीपुरा के बीच में आने वाले पुल को नया बनाने का फैसला लिया गया था। इस फैसले के तहत तैयार की गई योजना के अनुसार यह पुल 100 फीट चौड़ा बनाने की तैयारी की गई है। इस कार्य पर 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नगर निगम की ओर से इस काम को करवाने के लिए टेंडर कर दिया गया है। ठेकेदार को काम सौपने के बाद अब नगर निगम इस काम को शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए अगले कुछ दिनों के अंदर काम शुरू कराया जाएगा। इस कार्य के कारण मालवा मिल चौराहे से पाटनीपुरा की तरफ जाने वाले रास्ते को वाहनों के आने-जाने के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस मार्ग पर यातायात बंद कर वहां पर निर्माण कार्य किया जाएगा। वाहन चालकों के लिए परिवर्तित रास्ता बताया जाएगा उस रास्ते से घूम कर उन्हें लंबा चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। यह रास्ता 3 महीने के लिए बंद किया जाएगा।

इंडस्ट्री हाउस रोड पर भी शुरू होगा पुल का निर्माण

इसके साथ ही इंदौर नगर निगम के द्वारा इंडस्ट्री हाउस रोड पर भी पुल का निर्माण शुरू किया जा रहा है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस पुल को 80 फीट चौड़ा बनाया जाएगा। इस कार्य पर 4 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस काम को भी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। यहां पर पुल का निर्माण शुरू करने से पहले बिजली के खंबों और पानी तथा ड्रेनेज की लाइन की शिफ्टिंग का काम भी करना पड़ेगा। अब नगर निगम अभी लाइन शिफ्टिंग का काम शुरू करवा रहा है। जब यह काम पूरा हो जाएगा तब फिर पुल का निर्माण शुरू किया जाएगा।

संपादकीय...

निगम को दोषियों को दंडित करना होगा

इंदौर विकास प्राधिकरण की जमीन पर बिना उचित दस्तावेज के इंदौर नगर निगम के द्वारा विकास अनुमति जारी कर दी गई। इस मामले का भंडाफोड़ होने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह मामला अपने आप में बड़ा और संगीन मामला है। इस मामले में निगम ने भी अपनी लापरवाही को मान लिया है। यही कारण है कि निगम के द्वारा इस विकास अनुमति को निरस्त कर दिया गया है। केवल विकास अनुमति को निरस्त कर देने से ही

■ गौरव गुप्ता

बात पूरी नहीं हो जाती है। इस मामले में अब नगर निगम को आगे की पहल करना होगी। निगम की ओर से यह जरूरी है कि यह अनुमति जारी करने का कार्य जिन भी अधिकारियों के द्वारा जिस तरीके से किया गया था उन पर कार्रवाई की जाए। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई किए बगैर हम इस तरह की घटनाओं के दोहराव को रोक नहीं सकेंगे। निगम के सिस्टम को यदि सही करना है तो अब निगम में कार्रवाई का चाबुक तेज गति के साथ चलाया जाना आवश्यक हो गया है।

डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए चिया, मेथी, पंपकिन और फ्लेक्स, सीड्स डाइट में शामिल करें ये सीड्स

डॉक्टर आरती मेहरा के अनुसार आप अपनी कुछ आदतों में बदलाव कर शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा खानपान में उचित बदलाव भी डायबिटीज की समस्या को गंभीर होने से बचा सकता है। आप आपको किचन में मौजूद उन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका सेवन आपको डायबिटीज से राहत दिला सकता है।

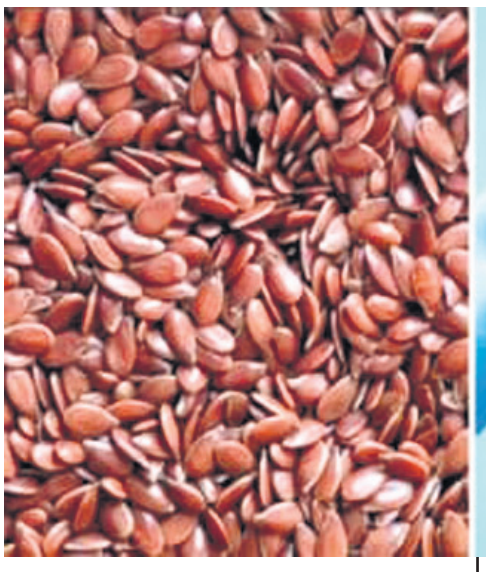

डायबिटीज की समस्या आजकल भयावह बनती जा रही है। भारत में भी बड़ी संख्या में डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं। खराब लाइफस्टाइल और खानपान की गलत आदत के चलते लोग इस बीमारी के आसान शिकार बन रहे हैं। ऐसे में अगर वक्त रहते आपने अपनी आदतों को सही नहीं किया तो ये समस्या अन्य गंभीर बीमारियों के होने की भी वजह बन सकती है। डॉक्टर आरती मेहरा ने बताया कि आप अपनी कुछ आदतों में बदलाव कर शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा खानपान में उचित बदलाव भी डायबिटीज की समस्या को गंभीर होने से बचा सकता है। डॉक्टर आरती मेहरा द्वारा आपको किचन में मौजूद कुछ सीड्स के बारे में बताया जा रहा हैं, जिनका सेवन आपको डायबिटीज से राहत दिला सकता है।

डॉ. आरती मेहरा
आहार एवं पोषण विशेषज्ञ
7999788456

चिया सीड्स

शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी डाइट में चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजाना सुबह चिया सीड्स का पानी आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी सही साबित होगा। मेटाबॉलिज्म वजन कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है। साथ ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के चलते चिया सीड्स का सेवन डायबिटीज के खिलाफ भी फायदेमंद साबित होगा।

मेथी के बीज

मेथी के बीज में पर्याप्त मात्रा में सॉल्यूबल फाइबर मौजूद होते हैं। जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखते हैं। खाने में मेथी के बीज का इस्तेमाल शरीर में ग्लूकोज के घुलने की प्रकिया को धीमा करता है। साथ ही यह ग्लूकोज टोलरेंस को

बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नियंत्रित रखता है।

फ्लैक्स सीड्स

फ्लैक्स सीड्स इंसुलिन सेंसटिविटी को इंप्रूव करता है। यदि इंसुलिन सही से रिस्पांस करती है, तो ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहती है। इसी के साथ इसमें पर्याप्त मात्रा में लिगनेन मौजूद होता हैं जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता हैं और डायबिटीज की स्थिति को नियंत्रित रखता है।

पंपकिन सीड्स

पंपकिन सीड्स शरीर मे ब्लड ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। वहीं इसमें मौजूद डाइटरी फाइबर टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित मरीजों के लिए फायदेमंद होते हैं। वहीं इसमें मौजूद विटामिन और महत्वपूर्ण पोषक तत्व ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित रखते हैं।इसके साथ ही यह शरीर मे इंसुलिन रेगुलेट करने में भी मदद करता है।

घरेलू उपायों से शुगर कंट्रोल करने के लिए, आप ये तरीके अपना सकते हैं-

- डाइट में अनाज-चावल कम करें और सब्ज़ी-सलाद की मात्रा बढ़ाएं।
- हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं।
- कच्चा केला, अनार, अवोकाडो, और अमरूद खाएं।
- नीम की पत्तियों का जूस पिएं।
- मेथी पाउडर खाएं।
- दालचीनी का सेवन करें।
- एलोवेरा का सेवन करें।
- हल्दी का सेवन करें।
- अलसी के बीज खाएं।
- रोजाना कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें।

ये उपाय भी अपनाए जा सकते हैं-

- सुबह खाली पेट लौकी का सूप, जूस या सब्जी खाएं।
- नींबू-पानी पिएं।
- खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं।
- गर्मियों में धूप में व्यायाम न करें, बल्कि शांत और ठंडी जगह में व्यायाम करें।
- गर्मियों में पानी का सेवन खूब करें।
- शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से कोशिकाएं ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाती हैं। इससे ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

खाटू नगरी के बाजार बंद, प्रशासन व व्यापारियों के बीच दो बार वार्ताएं हुई फेल

खाटूश्यामजी (सीकर)। खाटू श्यामजी में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुनी लक्खी चल रहा है। जहां मेले के दौरान बाजार पूरी तरह से जगमग होने चाहिए वहां पर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि खाटू नगरी के पूरे बाजार बंद है और बाजार की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसका कारण है प्रशासन की अव्यवस्थाएं।

प्रशासन की अवस्थाओं के चलते यह मंजर देखने को मिल रहा है। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि

प्रशासन ने व्यवस्थाओं के नाम पर यहां के स्थानीय लोगों और व्यापारियों को तिहाड़ जेल की भांति कैद कर दिया है और उनको आने-जाने नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि ना तो दुकानों में व्यापारी वाहनों से सामान ला पा रहे हैं और ना ही अपने घर से दुकान और दुकान से घर जा पा रहे हैं। इसके साथ ही घरों में रहने वाले स्थानीय लोग भी अपने रोजमर्रा के कार्य के लिए अपने आधार कार्ड दिखाने के बावजूद आ जा नहीं पा रहे हैं। प्रशासन द्वारा मुख्य रास्तों को टिन शेड लगाकर बंद कर दिया गया है जिससे लोग कॉलोनी में ही कैद हो गए हैं।

इसके विरोध में खाटूश्यामजी व्यापार मंडल अध्यक्ष सोनू जोशी के आह्वान पर अनिश्चितकालीन बाजार बंद करने का फैसला लिया गया और बाजार को पूरी तरह से सभी प्रतिष्ठान बंद करके विरोध जताया। व्यापार मंडल के लोगों एवं स्थानीय लोगों ने मिलकर मीटिंग आयोजित की और उसमें प्रशासन के समक्ष कई मांगे रखी गई। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि मेले में मेला मजिस्ट्रेट का फैसला लागू होता है लेकिन पुलिस अधिकारी डीवाईएसपी संजय बोथरा अपने आप को मेला मजिस्ट्रेट समझ रहे हैं और अपने हटधर्मिता कर रहे हैं। व्यापारियों ने डीएसपी संजय बोथरा को हटाने की मांग भी की है।

मकान मालिक कोई भी किराए का परिसर रिक्त किए जाने की कार्रवाई कर सकता है-सुप्रीम कोर्ट

देशभर में लोग अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर उठाते हैं। इससे उन्हें हर महीने आय होती है, जिससे वे अपना घर चलाते हैं। लेकिन कई बार किराएदार घर या जहां वे किराए पर रह रहे हैं, उस परिसर को आसानी से खाली नहीं करते। अगर आप भी अपना मकान या कोई अन्य संपत्ति किराए से उठाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अहम टिप्पणी की है, जो कि मकान मालिक और किराएदार दोनों को जानना बहुत जरूरी है। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मकान मालिक ही यह तय करेगा कि अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए वह कौन सा किराए के परिसर का हिस्सा खाली करवाए। किराएदार इस वजह से खाली करने से मना नहीं कर सकता कि मकान मालिक के पास अन्य संपत्तियां भी हैं और वह उनसे अपनी जरूरत पूरी कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मकान मालिक की असली जरूरत के आधार पर किराएदार को परिसर से निकालने के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है। परिसर खाली करवाने की इच्छा मात्र के बजाय जरूरत वास्तविक होनी चाहिए। मकान मालिक ही यह तय करने के लिए सबसे अच्छा जज है कि उसकी विशेष जरूरत को पूरा करने के लिए उसकी संपत्ति में से कौन सी संपत्ति खाली करवाई जानी चाहिए। किराएदार की यह तय करने में कोई भूमिका नहीं है कि मकान मालिक को बेदखली के मुकदमे में आरोपित उसकी आवश्यकता के लिए कौन सी संपत्ति खाली करवानी चाहिए।

एक मकान मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसके दो बेरोजगार बेटों के लिए उसे अल्ट्रासाउंड मशीन लगवानी है और इसी जरूरत के चलते उसे किराएदार से वह मकान खाली करवाना है। इसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था और फिर हाई कोर्ट ने उसी फैसले को बरकरार रखा।

किराएदार ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि मकान मालिक के पास और भी प्रॉपर्टी हैं और वह उसके मकान के बजाए दूसरी संपत्ति को खाली करवाकर इस्तेमाल कर सकता है। किराएदार की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब मकान मालिक की वास्तविक जरूरत पूरी हो जाती है, तब भी किराएदार अपनी सुविधा के आधार पर मकान मालिक को किसी अन्य संपत्ति को खाली करवाने की मांग करके मजबूर नहीं कर सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले में मकान मालिक के पास कुछ अन्य संपत्तियां हो सकती हैं, लेकिन एक बार जब उसने अपने दो बेरोजगार बेटों के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने की वास्तविक आवश्यकता के लिए सूट परिसर को खाली करवाने का फैसला किया है, तो उसे अन्य किरायेदारों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही शुरू करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। वहीं, पहली ही नजर में यह पता चलता है कि यह जगह अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। इसकी वजह यह है कि यह जगह एक मेडिकल क्लिनिक और एक पैथोलॉजिकल सेंटर के बगल में स्थित है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मकान मालिक ही यह तय करेगा कि अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए वह कौन सा किराए के परिसर का हिस्सा खाली करवाए...

किरायेदार को बेदखल करने के कानूनी आधार

संजय मेहरा
हाईकोर्ट एडवोकेट
98270 74132

किसी किरायेदार को संपत्ति से बेदखल करने के कुछ कानूनी आधार इस प्रकार हैं :

संपत्ति में बड़े मरम्मत या विकास की आवश्यकताः इसमें संरचनात्मक समस्याएं शामिल हो सकती हैं, जैसे छत से रिसाव, पाइपलाइन या विद्युत प्रणालियों में समस्या, या संपत्ति को सुरक्षित और रहने योग्य स्तर तक लाने के लिए महत्वपूर्ण नवीकरण की आवश्यकता। मकान मालिक को संपत्ति में रहना आवश्यक हैः कुछ परिस्थितियों में, मकान मालिकों को निजी उपयोग के लिए अपनी संपत्ति पर पुनः कब्जा लेने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि यदि वे काम के लिए स्थानांतरित हो रहे हों, घर छोटा कर रहे हों, या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उन्हें स्वयं संपत्ति में रहने के लिए जाना पड़ रहा हो।

किरायेदार द्वारा संपत्ति या उसकी सामग्री को नुकसान पहुंचाया गया हैः इसमें दागदार कालीन या टूटे हुए जुड़नार जैसी छोटी क्षति से लेकर संपत्ति की अधिक गंभीर क्षति, जैसे दीवारों में छेद या व्यापक बर्बरता शामिल हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप मरम्मत या प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है।

संपत्ति को जीर्ण-शीर्ण अवस्था में छोड़ दिया जानाः किरायेदारी अनुबंध में उल्लिखित उचित स्थिति में संपत्ति को बनाए रखने में विफलता, जिसके परिणामस्वरूप बगीचों में अत्यधिक वृद्धि, फफूंद का विकास, या अन्य स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी खतरे जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

मकान मालिक द्वारा रोजगार के कारण किरायेदारी की पेशकश की गई थी और रोजगार समाप्त हो गयाः यदि किरायेदार को मकान मालिक के साथ रोजगार अनुबंध के भाग के रूप में आवास उपलब्ध कराया गया था, तो रोजगार की समाप्ति के कारण किरायेदारी समझौते को समाप्त करना आवश्यक हो सकता है।

संपत्ति को मकान मालिक से वापस लिया जा रहा हैः यह मकान मालिक द्वारा सामना की जा रही वित्तीय कठिनाइयों के कारण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति को लेनदारों या बंधक ऋणदाता द्वारा वापस ले लिया जाता है, जिससे किरायेदारी समाप्त हो जाती है।

किराये का बकायाः किरायेदार द्वारा तय शर्तों के अनुसार किराये का भुगतान न करना, जिसके कारण समय के साथ बकाया राशि बढ़ती जाती है।

किराया भुगतान में लगातार देरीः जबकि किराया बकाया कुल देय राशि को संदर्भित करता है, लगातार देर से भुगतान किराया भुगतान में देरी के पैटर्न को संदर्भित करता है, जो अभी भी मकान मालिक के वित्त को बाधित कर सकता है और असुविधा का कारण बन सकता है।

असामाजिक व्यवहारः इसमें किरायेदार का ऐसा कोई भी व्यवहार शामिल है जो पड़ोसियों या अन्य किरायेदारों की शांति और आनन्द में बाधा डालता है, जैसे अत्यधिक शोर, उत्पीड़न या आपराधिक गतिविधि।

पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर करते समय गलत जानकारी देना : यदि किरायेदार समझौते पर हस्ताक्षर करते समय भ्रामक या गलत जानकारी देता है, जैसे कि अपनी रोजगार स्थिति या वित्तीय स्थिति के बारे में गलत जानकारी देना, तो यह अनुबंध के उल्लंघन के कारण समझौते को समाप्त करने का आधार बन सकता है। भले ही किरायेदार को बेदखल करने के लिए कानूनी आधार मौजूद हों, फिर भी ऐसा करने के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन करना महत्वपूर्ण है।

बेदखली के दो प्रकार के कानूनी आधारों की व्याख्या

यू.के. में, मकान मालिक आम तौर पर दो मुख्य कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग करके किरायेदारों को बेदखल कर सकते हैं : धारा 8 और धारा 21 नोटिस। प्रत्येक प्रक्रिया के तहत बेदखली के आधार अलग-अलग हैं।

धारा 8 नोटिस : इसका उपयोग तब किया जाता है जब किरायेदार ने अपने किरायेदारी समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया हो। धारा 8 के तहत बेदखली के आधार में शामिल हैं

किराया बकाया : यदि किरायेदार किराया भुगतान में पिछड़ गया है।

किरायेदारी समझौते का उल्लंघन : इसमें बिना अनुमति के किराये पर देना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, या असामाजिक व्यवहार करना शामिल हो सकता है।

किराये का लगातार देरी से भुगतान : किराये का लगातार देरी से भुगतान करना भी बेदखली का आधार हो सकता है। मकान मालिक का संपत्ति बेचने या उसमें रहने का इरादा : यदि मकान मालिक को संपत्ति बेचने या स्वयं उसमें रहने की आवश्यकता है, तो वे उचित सूचना देकर इस आधार का उपयोग कर सकते हैं।

कुछ मामलों में मकान मालिक को एक विशिष्ट नोटिस अवधि की आवश्यकता होती है, और कुछ मामलों में, बेदखली की कार्यवाही शुरू होने से पहले किरायेदार को उल्लंघन को सुधारने का अवसर दिया जा सकता है।

धारा 21 नोटिस : यह एक गलती रहित निष्कासन प्रक्रिया है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किरायेदारी की निश्चित अवधि समाप्त हो जाती है, या एक आवधिक किरायेदारी के दौरान जहां मकान मालिक को किरायेदारी समाप्त करने का कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। धारा 21 के तहत निष्कासन के आधार में शामिल हैं।

निश्चित अवधि की समाप्ति : यदि किरायेदारी की निश्चित अवधि समाप्त हो रही हो तो मकान मालिक नोटिस दे सकता है।

आवधिक किरायेदारी के दौरान : मकान मालिक, निर्धारित अवधि के बाद किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नोटिस दे सकते हैं। धारा 21 के अंतर्गत नोटिस अवधि आमतौर पर धारा 8 की तुलना में अधिक लंबी होती है, आमतौर पर दो महीने।

एलन मस्क की स्टारलिंक को मिल सकती है मंजूरी

वाशिंगटन । एलन मस्क की स्टारलिंक को जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष नियामक से मंजूरी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि कंपनी सैटेलाइट द्वारा ग्लोबल मोबाइल व्यक्तिगत संचार लाइसेंस हासिल करने के लिए अधिकांश प्रावधानों का पालन करने पर सहमत हो गई है, लेकिन सुरक्षा संबंधी कुछ आवश्यकताओं पर चर्चा चल रही है। संभावना है कि आने वाले दिनों में सुरक्षा संबंधी प्रावधानों पर सहमति बन जाएगी। स्टारलिंक करीब 100 देशों में अपनी इंटरनेट की सेवाएं दे रही है।

सूत्रों का कहना है कि कंपनी ने जरूरी डिटेल्स जमा कर दिया है। यह स्टारलिंक के लिए भारत में पहली नियामक मंजूरी होगी, जिसका लक्ष्य भारत में कॉमर्शियल ब्रॉडबैंड-फ्रॉम-स्पेस सेवाएं शुरू करना है। कंपनी उपयोगकर्ता टर्मिनलों के स्थानांतरण और उससे जुड़े

प्रावधान का पालन करने के लिए सहमत हो गई है। कंपनी भारत में अपना नेटवर्क नियंत्रण और निगरानी केंद्र बनाने पर भी सहमत है। स्टारलिंक इस बात पर भी सहमत है कि वह यह भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों में गेटवे के माध्यम से डेटा रूट नहीं करेगा। कंपनी का फिलहाल भारत के जमीनी सीमा वाले देशों में कोई गेटवे नहीं है, लेकिन कंपनी ने प्रतिबद्ध किया है कि भविष्य में जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों में गेटवे स्थापित करती है तो वह भारत से जुड़ा डेटा उनके माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। लेकिन, इस बार भी सुरक्षा के मोर्चों पर कई सारे प्वाइंट्स हैं, जिनको लेकर निरंतर चर्चा चल रही है। स्टारलिंक चाहती है कि भारत के साथ जल्द से जल्द सेवा शुरू करने वाले शर्तों पर आपसी सहमति बने, जिससे कि वह अपनी सेवा शुरू कर सके। मौजूदा नियमों के अनुसार कंपनियों के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार 10 किलोमीटर तक निगरानी सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य हैं। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार विचार कर रही है कि स्टारलिंक को एलईए से जुड़ी शर्तों में छूट प्रदान की जाए या नहीं। हालांकि सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि देश में कोई भी कंपनी आकर टेलीकॉम से जुड़ी सर्विस शुरू कर सकती है। उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, लेकिन कंपनी को भारत से जुड़े नियमों का पालन करना होगा।

6 लेवल के प्लान से होगा निवेश के प्रस्ताव पर काम

ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सरकार को जो निवेश के प्रस्ताव मिले हैं उन पर अब छह लेवल पर काम होगा। इन प्रस्ताव को धरातल पर उतारने के लिए पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। इस मॉनिटरिंग की कमान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने हाथों में रखी है।

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जीआईएस 2025 में प्राप्त निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक की। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) 2025 में प्रदेश को 30.77 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 21 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने छह स्तरीय कार्ययोजना बनाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं ऑनलाइन इस प्रक्रिया से निगरानी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले सप्ताह 850 करो? रुपये के निवेश से स्थापित होने वाली नीमच सौर परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी।जीआईएस में सेक्टरों में बड़ी संख्या में निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

विभागों में होगी रिलेशनशिप मैनेजर की नियुक्ति

मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश प्रस्तावों के प्रभावी फॉलो-अप के लिए छह स्तरीय कार्य योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत एमपीआईडीसी द्वारा निवेश प्रस्तावों की स्क्रीनिंग और डेटा प्रविष्टि कर उनका विभागवार अलग-अलग किया जाएगा। संबंधित विभाग निवेश राशि के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय, मुख्यालय और विभाग स्तर पर प्रस्तावों का फॉलो-अप करेंगे। प्रत्येक विभाग द्वारा रिलेशनशिप मैनेजर की नियुक्ति की जाएगी। फॉलोअप के लिए मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग की पुख्ता व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे प्रस्ताव के क्रियान्वयन की मानीटरिंग

हर सप्ताह पीएस करेंगे प्रगति की समीक्षा

संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव प्रति सप्ताह प्रगति की समीक्षा कर मुख्य सचिव को रिपोर्ट देंगे। इसके साथ ही मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री स्तर पर भी निश्चित अंतराल पर मॉनीटरिंग की व्यवस्था की गई है। निवेश प्रस्तावों को साकार करने के लिए भूमि आवंटन, अनुमोदन और आवश्यक मंजूरियों के लिए संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक समन्वय और सहयोग किया जाएगा। इसके साथ ही निवेशकों की प्रतिक्रिया के विश्लेषण और समाधान के लिए उनसे फीडबैक प्राप्त करने की भी व्यवस्था की गई है।

विभागीय समन्वय के लिए बनेगा सेल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रस्तावों को वास्तविक निवेश में परिवर्तित करने के लिए रणनीति बनाकर कार्य होगा। इसके लिए प्राथमिकता पर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे और सेक्टर फोकस्ड औद्योगिक सेक्टरों का भी विकास होगा। जिला स्तर पर कलेक्टर्स को भूमि और जल की आवश्यकता से अवगत कराकर समय-सीमा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। निवेशक अपनी इकाई का शीघ्रता से संचालन शुरू कर सकें, इसके लिए प्लग-एंड-प्ले सुविधा विकसित की जाएगी। प्रदेश में एमपी इन्वेस्टर पोर्टल का उन्नयन किया गया है। इसके साथ ही एमपीआईडीसी में विशेष सेल अंतर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करेगा।

नवकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करेगा सोलर पार्क

नीमच-आगर-शाजापुर सोलर पार्क परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित नवकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 1500 मेगावॉट क्षमता वाली यह परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जो आरयूएमएसएल सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन और मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का संयुक्त उपक्रम है। इस परियोजना के अंतर्गत आगर सोलर पार्क से 550 मेगावॉट, शाजापुर से 155 मेगावॉट और नीमच से 330 मेगावॉट का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है। नीमच सोलर पार्क की 170 मेगावॉट क्षमता की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस परियोजना के माध्यम से मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और देश की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करेगा, साथ ही प्रधानमंत्री के नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।

इस सप्ताह आपके सितारे

5 मार्च 2025 से 11 मार्च 2025

किसी के रुके कार्य होंगे तो किसी को मिलेगा रुका हुआ पैसा...

मेष - इस सप्ताह अधिक व्यय होने की संभावना है। कारोबार अच्छा चलेगा। भाग्य साथ देगा। मान सम्मान बढ़ेगा। किसी रुके हुए कार्य के होने की संभावना है। शत्रु कुछ कष्ट दे सकते हैं। उदर विकार अल्पाधिक होगा। वाहन से अल्प कष्ट संभव है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

वृषभ - मानसिक तनाव बढ़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बेवजह के विवादों से दूर रहें। कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होगी। किसी का व्यवहार मन को कष्ट देगा। प्रेम संबंधों के लिए समय प्रतिकूल है। लाभ कम, व्यय अधिक। संतान पक्ष धनात्मक रहेगा। वाहन सुख उत्तम।

मिथुन - व्यय अधिक होगा किंतु उसी अनुरूप लाभ भी होंगे। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। प्रेम संबंधों के प्रति सावधान रहें। जीवनसाथी से विवाद हो सकता है। कारोबार अच्छा चलेगा। शत्रु पराजित होंगे। घर परिवार में किसी शुभ कार्य के होने की भी संभावना है।

कर्क - कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। कारोबार अच्छा चलेगा। वाहन से अल्पाधीक कष्ट संभव है। शत्रु हावी होने का प्रयास करेंगे किंतु विजय आपकी होगी। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। संतान पक्ष कुछ परेशान कर सकता है। धनागम में वृद्धि होगी। माता का ध्यान रखें।

सिंह - इस सप्ताह जीवनसाथी की ओर से परम धनात्मकता का अनुभव होगा। प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। स्वयं के शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान पक्ष कुछ पीड़ित करेगा। मित्र सहयोग देंगे। अचानक कोई काम होने से खुशी होगी। वाहन सावधानी से चलावें। विवादों से बचें।

कन्या - इस सप्ताह शारीरिक स्वास्थ्य नरम-गरम रहेगा। आवक अच्छी होगी। कारोबार में उन्नति होगी। शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे। मित्र भी वांछित सहयोग नहीं करेंगे। वाहन सुख उत्तम। जीवनसाथी का स्वास्थ्य और सहयोग अच्छा रहेगा।

तुला - इस सप्ताह संतान संबंधी किसी चिंता का निवारण होगा। कोई रुका हुआ पैसा भी प्राप्त हो सकता है। किसी से विवाद न करें अन्यथा परेशानी होगी। जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं सहयोग अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध सुधरेंगे। भूमि संबंधी कोई कार्य होगा।

वृश्चिक - इस सप्ताह मानसिक तनाव बहुत रहेंगे। बेवजह के विवादों से भी बचें। भूमि भवन संबंधी कोई कार्य होगा। संतान पक्ष अच्छा रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग अच्छा मिलेगा। कारोबार में कुछ न्यूनतम रहेगी। वाहन सुख उत्तम। यात्रा हो सकती है।

धनु - इस सप्ताह आपके किसी कार्य के संपन्न हो जाने से खुशी मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों के प्रति सावधान रहें। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। संतान पक्ष कुछ कष्ट दे सकता है किंतु चिंतनीय नहीं। कारोबार अच्छा चलेगा। शत्रु सिर उठा सकते हैं।

मकर - कारोबार अथवा कार्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है। मित्रगण सहयोग करेंगे। जीवनसाथी का व्यवहार और स्वास्थ्य अल्प रूप से ऋणात्मक रहेगा। रोमांस के लिए समय ठीक नहीं। आय अच्छी होगी। वाहन सुख उत्तम है। भूमि संबंधी विवाद खड़ा हो सकता है।

कुंभ - इस सप्ताह आपको अचानक रुका हुआ कुछ पैसा मिल सकता है। जीवनसाथी का सुख एवं सहयोग अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में धनात्मकता दिखाई देगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कारोबार अच्छा रहेगा। शत्रु दबेंगे।

मीन- इस सप्ताह आपके परिवार में कुछ अशांति हो सकती है अतः सावधानी रखें। कारोबार में लाभ सीमित होगा। व्यय अधिक होंगे। संतान पक्ष का अच्छा सहयोग मिलेगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलावें। जीवनसाथी का स्वास्थ्य और सहयोग अच्छा रहेगा।

श्रीमान उमेश पांडे
ज्योतिष एवं वास्तुविद
महात्मा गांधी मार्ग, मल्हारगंज, इंदौर (म.प्र.)
मो. 8602912030

इस सप्ताह की ग्रह स्थितियां

■ **सूर्य** - धनु राशि में ■ **चंद्र** - कर्क से कन्या राशि में ■ **मंगल** - कर्क राशि में ■ **बुध** - वृश्चिक राशि में ■ **गुरु** - वृषभ राशि में वक्री ■ **शुक्र** - मकर राशि में ■ **शनि** - कुंभ राशि में मार्गी ■ **राहु** - मीन राशि में ■ **केतु** - कन्या राशि में

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

90 दिन जलवा बिखेरेंगे सुख-संपदा के कारक,

2 मार्च से शुक्र ग्रह हुए वक्री 5 राशि के जातकों को लाभ

साल 2025 में कई ग्रह अपनी राशि और नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। ग्रहों का जबरदस्त खेल मार्च के पहले हफ्ते से ही शुरू होने जा रहा है। शुक्र ग्रह भी इनमें से एक हैं। धन-वैभव, आकर्षण, भोग-विलास और धन-संपदा के कारक शुक्र ग्रह 2 मार्च को वक्री (उल्टी चाल) होने जा रहे हैं। शुक्र देव लगभग 90 दिन मीन राशि में रहकर जलवा दिखाएंगे। जानकारों की मानें तो, किसी भी ग्रह का परिवर्तन होने पर जातक की कुंडली पर शुभ-अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कोई ग्रह वक्री होता है तो मतलब साफ है कि उसके परिणाम अधिक सक्रियता भरे होंगे। इसी तरह शुक्र देव के उल्टी चाल चलने से कुछ राशि के जातकों को लाभ मिलेगा, तो कुछ राशिवालों को संभलकर रहने की जरूरत है।

शुक्र ग्रह के वक्री और मार्गी होने का समय

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, धन-वैभव, ऐश्वर्य और दांपत्य सुख के कारक ग्रह शुक्र 2 मार्च को वक्री हुए। इस दिन शुक्र देव सुबह 6 बजकर 04 मिनट से उल्टी चाल शुरू करेंगे। इसके बाद 13 अप्रैल को मीन राशि में ही रहकर मार्गी हो जाएंगे। फिर 31 मई तक मीन राशि में मार्गी रहेंगे। इसके बाद 31 मई को 11 बजकर 42 मिनट पर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

वृषभ राशि : इस राशि में शुक्र ग्यारहवें भाव में वक्री होने जा रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को हर क्षेत्र में अपार सफलता हासिल हो सकती है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। आपके द्वारा किए गए कार्यों में अब खूब सफलता हासिल हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। पार्टनरशिप में किए गए कार्यों में खूब सफलता हासिल हो सकती है।

तुला राशि : शुक्र के मीन राशि में वक्री होने से आपके जीवन के कई पहलुओं पर प्रभाव पड़ सकता है। धन, करियर और रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बदलाव सकारात्मक ही होंगे। आर्थिक तौर पर जहां आपको कर्ज लेने की नौबत आ सकती है, वहीं लोन या पैतृक संपत्ति से अचानक धन लाभ भी हो सकता है। नौकरी में बदलाव के आसार हैं, यह बदलाव आपको तरक्की की राह पर आगे बढ़ाएंगे। दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।

मेष राशि : इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का उल्टी चाल चलना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस राशि में शुक्र दूसरे और सातवें भाव के स्वामी है और मीन राशि में उल्टी चाल चलकर बारहवें भाव में वक्री होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों का अध्यात्म की ओर काफी अधिक झुकाव हो सकता है। आपके दोस्तों का पूरा साथ मिल सकता है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। करियर के क्षेत्र में भी खूब लाभ मिलने वाला है। आप नई नौकरी कर सकते हैं।

धनु राशि: शुक्र ग्रह की उल्टी चाल इस राशि के जातकों के लिए भी काफी लकी साबित हो सकती है। इस राशि के चतुर्थ भाव में शुक्र वक्री होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों को खूब लाभ मिल सकता है। पदोन्नति के साथ इंक्रीमेंट हो सकता है। इसके साथ ही व्यापार की बात करें, तो आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। घर, वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। विदेश यात्रा के मौके मिल सकते हैं। आत्म विश्वास की तेजी से वृद्धि हो सकती है।

कुंभ राशि : कुंभ राशि के जातक पिछले कुछ समय से परेशानियों में चल रहे थे लेकिन अब शुक्र के प्रभाव से परेशानियों से बाहर आने का समय शुरू हो चुका है। कुंभ राशि के जातकों को मेहनत का फल मिलेगा। आप अगर कोशिश करेंगे, तो मेहनत से अधिक फल भी पा सकते हैं। खासतौर पर अगर आप नया वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे थे, तो इस समय में आपको वाहन सुख भी प्राप्त हो सकता है। खासतौर पर जो लोग नई नौकरी की तलाश में थे, उन्हें नौकरी के कई अवसर मिलेंगे।

डिलीवरी के बाद महिलाओं की याददाश्त चली गई रीवा के अस्पताल में हादसा परिजन हैरान परेशान

डिलीवरी के बाद से मेरी बहन खुद को पहचान नहीं पा रही है। जिन महिलाओं का ऑपरेशन हुआ है, उनमें कुछ पागलों जैसे चिल्ला रही हैं तो कुछ हाथ-पैर पटक रही हैं। मेरी बहन सामान्य हालत में अस्पताल आई थी, लेकिन अब उसकी मानसिक स्थिति अजीब सी हो गई है।

ये कहना है कृष्णा गुप्ता का, जिसकी बहन की डिलीवरी शुक्रवार रात रीवा के गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में हुई थी। कृष्णा ने बताया कि जितनी प्रेग्नेंट महिलाओं का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें या तो एक्सपायरी दवाई दी गई है या फिर ओवर डोज दिया गया है। डिलीवरी के बाद से ही सभी पागलों जैसी हरकतें कर रही हैं। ये गलत इंजेक्शन का ही असर है।

दरअसल, शुक्रवार शाम से देर रात तक रीवा के गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में 5 महिलाओं की डिलीवरी हुई। ऑपरेशन के कुछ देर बाद से सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। सभी अचेत हो गईं। 2 महिलाओं की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं, शनिवार शाम को स्टाफ ने दावा किया कि सभी महिलाओं की हालत ठीक है। मिठाई भी बांटी गई हैं।

रिपोर्टर को देखकर अस्पताल में मौजूद गार्ड और स्टाफ सतर्क हो गए। उनकी यही कोशिश थी कि रिपोर्टर की मुलाकात किसी मरीज या उनके परिजन से न हो पाए। बार-बार यही कहा जाता कि मरीज आईसीयू में है तो कभी कहते कि गायनिक वार्ड में है। कभी प्राइवेट वार्ड में भर्ती होना बताते।

अस्पताल सुपरिंटेंडेंट डॉ. राहुल मिश्रा ने बताया, ऐसा लग रहा है कि व्यूपी बेकेनिक रिस्थैटिक इंजेक्शन की वजह से ये सब हुआ है। इस इंजेक्शन के यूज को हमने पूरी तरह से रोक दिया है। दवाई के रिएक्शन की वजह से हालत बिगड़ी है। जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालत में सुधार आए इसलिए आईसीयू में शिफ्ट किया था।

पन्ना से पत्नी को लेकर आए शाहिद अली ने कहा, ऑपरेशन के पहले सभी महिलाओं की हालत बिल्कुल ठीक थी। लेकिन ऑपरेशन में भारी लापरवाही बरती गई है। हम तो रीवा यह सोचकर आए थे कि यहां पर अच्छा इलाज मिलेगा। यह नहीं मालूम था कि जान पर बन आएगी। नहीं तो कहीं और ले जाता। पत्नी बच्चे को दूध तक नहीं पिला पाई। न ही किसी को पहचान पा रही है। कुछ बोल भी नहीं रही है। गलत दवाइयों के इस्तेमाल ने 5 महिलाओं को लाचार कर दिया है। डॉक्टरों ने गलती मानी, लेकिन पत्नी कैसे ठीक होगी अंबुज गुप्ता ने बताया, मैंने 27 तारीख को पत्नी लक्ष्मी गुप्ता को भर्ती करवाया था। तब वह अच्छे से बातें कर रही थी। डिलीवरी का पेन जरूर था, लेकिन ऐसी कोई गंभीर बात नहीं थी। ऑपरेशन हुआ तो उसे बॉटल और इंजेक्शन दिए गए। दवाई देने के कुछ समय बाद हालत ऐसी हो गई कि याददाश्त खो गई। बाद में पता चला कि जितनी महिलाओं का ऑपरेशन हुआ है, सब में यह समस्या देखने को मिल रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारे बच्चे का क्या होगा। डॉक्टरों ने गलती तो मान ली लेकिन मेरी पत्नी को ठीक कौन करेगा।

हरियाणा में कांग्रेस नेत्री की हत्या

हरियाणा के रोहतक में 22 वर्षीय कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या के बाद उनकी मां ने शव लेने से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने पार्टी के लोगों पर ही हत्या का शक जताया है। बता दें कि शनिवार सुबह हिमानी का शव रोहतक के सांपला बस स्टैंड पर एक सूटकेस में मिला था।

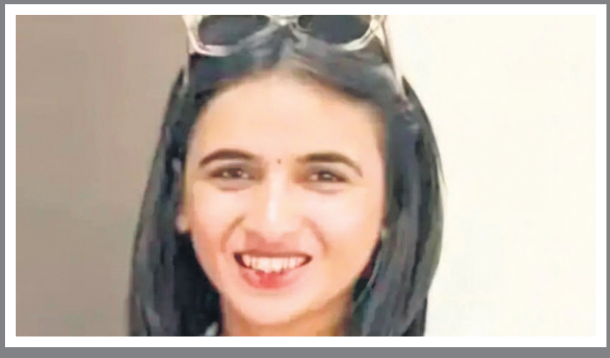

बॉडी सफेद सूट में थी और गले पर काली चुन्नी लिपटी हुई थी, हाथों में मेहंदी थी। पुलिस के मुताबिक, हिमानी 3 दिन से लापता थी और किसी शादी में गई थी। पिछले 5 महीने से हिमानी रोहतक में विजयनगर स्थित अपने पुश्तैनी मकान में अकेली रह रही थी।

मां बोली- बेटी की तरक्की से जलते थे कांग्रेस नेता

आज हिमानी के शव का पोस्टमॉर्टम होना है, इससे पहले आज उनकी मां भी पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंच गईं। जहां पर उन्होंने पुलिस की जांच के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमानी की हत्या में पार्टी का भी कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है क्योंकि कई लोग बेटी की तरक्की से जलते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वो हिमानी का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगी।

प्रदेश में अवैध कॉलोनी पर 10 साल की सजा का होगा प्रावधान

अवैध कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर पर लगाएंगे 50 लाख का जुर्माना

मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में अवैध कॉलोनी बनाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। इसके साथ ही अवैध कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर पर 50 लाख जुर्माना का भी प्रावधान किया जा रहा है।

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अवैध कॉलोनियों से लोगों को बचाने और सही निवेश के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से रजिस्टर्ड कॉलोनाइजरों की सूची जारी की है। यह कदम अवैध कॉलोनियों की पहचान और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

प्रदेश में अवैध कॉलोनियों से लोगों को बचाने और उन्हें सही निवेश के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से सरकार ने प्रदेश में रजिस्टर्ड कॉलोनाइजरों की सूची जारी की है। इस सूची में कॉलोनाइजरों के नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्यालय का पता भी शामिल किया गया है, ताकि लोग अवैध कॉलोनियों से बच सकें। साथ ही, निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लगातार सर्वेक्षण करें और अवैध कॉलोनियों के बनने पर त्वरित कार्रवाई करें। पूर्व में कॉलोनाइजरों के रजिस्ट्रेशन सिर्फ उसी जिले में होते थे, जहां वे अपना प्रोजेक्ट शुरू करते थे। इसका फायदा उठाकर कई कॉलोनाइजर एक जिले में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दूसरे जिले में उसी रजिस्ट्रेशन से अवैध कॉलोनियां बना लेते थे। अब सरकार ने कॉलोनाइजरों के रजिस्ट्रेशन को प्रदेश स्तर पर कर दिया है, जिससे वे किसी भी जिले में प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, लेकिन उनके पास रजिस्ट्रेशन का प्रमाण होना जरूरी होगा।

प्रदेश में आठ हजार अवैध कॉलोनियां

प्रदेश में अब तक लगभग आठ हजार अवैध कॉलोनियां चिन्हित की जा चुकी हैं। इनमें से 600 से अधिक कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि, निकाय अधिकारियों की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कार्रवाई अपेक्षाकृत धीमी रही है। सरकार अब कड़े नियम और कानून बनाने की तैयारी कर रही है, ताकि अवैध कॉलोनियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। इसके लिए वार्ड प्रभारी को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे अवैध कॉलोनियों के निर्माण होते ही उन पर कार्रवाई करें।

अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सजा और जुर्माने का प्रस्ताव

सरकार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधान बनाने जा रही है। इसके तहत अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर कॉलोनाइजरों के खिलाफ जुर्माना और सजा का प्रावधान किया जाएगा। जुर्माना 50 लाख रुपये तक हो सकता है, जबकि कॉलोनाइजर को 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। हालांकि, इन दंड और सजा के प्रावधानों पर अंतिम निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया जाएगा। प्रदेश के बड़े शहरों में अवैध कॉलोनियों का निर्माण सबसे अधिक भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में हुआ है। इंदौर में 200 से अधिक कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि भोपाल और ग्वालियर में भी इस समस्या का सामना किया जा रहा है। हाल ही में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्यवाही की समीक्षा की और निकायों से इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। मंत्री ने कहा कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मुहिम चलाकर साइन बोर्ड लगाए जाएं, ताकि लोग इन कॉलोनियों से बच सकें और बिना जानकारी के इन क्षेत्रों में निवेश न करें।

भाजपा ने 1 सप्ताह में इंदौर से जुटा लिए 3 करोड़

इंदौर। भाजपा द्वारा शुरू किए गए आजीवन सहयोग निधि संग्रहण अभियान में पूरे प्रदेश में इंदौर अव्वल रहा है। इंदौर शहर को 3 करोड़ रुपए की सहयोग निधि जुटाने का लक्ष्य संगठन द्वारा दिया गया था। यह राशि मात्र एक सप्ताह के अंदर ही जुटा ली गई है। पार्टी के नए शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव की जुगलबंदी से इंदौर को यह सफलता मिली है। भाजपा द्वारा अपने संगठन के सभी कार्यालय के वार्षिक खर्च को निकालने के लिए आजीवन सहयोग निधि के रूप में पार्टी कार्यकर्ताओं और विचारधारा के साथ चलने वाले लोगों से राशि एकत्र की जाती है। इस समय भाजपा द्वारा इस राशि को एकत्रित करने का अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। हर शहर और जिला इकाई को वहां के कार्यालय के खर्च के हिसाब से राशि एकत्र करने के लिए लक्ष्य दिया गया है। इंदौर में पार्टी द्वारा आजीवन सहयोग निधि एकत्र करने के लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव को कमान सौंपी गई।

महापौर द्वारा पार्टी के शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के साथ सामंजस्य बनाकर सारे शहर में सहयोग निधि एकत्र करने के लिए अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में इतनी तेज गति के साथ इतना बेहतर काम किया गया कि मात्र 7 दिन के अंदर ही लक्ष्य के अनुसार 3 करोड़ रुपए की सहयोग निधि जमा हो गई है। पूरे प्रदेश में सबसे पहले आजीवन सहयोग निधि के लक्ष्य को हासिल करने का गौरव इंदौर शहर में भाजपा को हासिल हुआ है। भाजपा द्वारा अब एकत्र की गई सहयोग निधि को जमा किया जा रहा है।

विजयवर्गीय के क्षेत्र से आई सबसे ज्यादा सहयोग निधि

इस अभियान के प्रभारी महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि इंदौर शहर में सबसे ज्यादा सहयोग निधि प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक से प्राप्त हुई है। वहां से 58 लाख रुपए की राशि मिली है। क्षेत्र क्रमांक 2 से 28 लाख, 3 से 40 लाख, क्षेत्र क्रमांक 4 से 30 लाख और क्षेत्र क्रमांक 5 से 28 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इसके अलावा राऊ विधानसभा क्षेत्र से 22 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। हर वार्ड से भी 5 लाख की राशि एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य के अनुसार बहुत से वार्डों से भी यह राशि एकत्र हो गई है। जब आजीवन सहयोग निधि का अभियान शुरू किया गया था, उस समय तय किया गया था कि भाजपा का हर पार्षद अपना 5 महीने का मानदेय इस निधि में देगा। इस हिसाब से हर पार्षद द्वारा 51000 रुपए की राशि दे दी गई है। इसके साथ ही महापौर को अपना 6 माह का मानदेय देना था, जो कि 1.51 लाख रुपए होता है। महापौर द्वारा भी यह राशि दे दी गई है। निगम की महापौर परिषद के हर सदस्य को 1.11 लाख रुपए की राशि आजीवन सहयोग निधि के रूप में देना है। महापौर परिषद में अभी 9 सदस्य हैं। इन सभी सदस्यों द्वारा भी यह राशि दे दी गई है।

'राइजिंग इंदौर' हिंदी साप्ताहिक इंदौर (म.प्र.) के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से संबंधित विवरण

घोषणा पत्र-4

(नियम - 3 देखिए)

1. प्रकाशन स्थल	:	401-402 डीएम टॉवर, 21/1 रेसकोर्स रोड, जंजीरवाला चौराहे के पास इंदौर (म.प्र.)
2. प्रकाशन की अवधि	:	साप्ताहिक
3. मुद्रक का नाम	:	गौरव गुप्ता
क्या भारत का नागरिक है	:	हां
पता	:	80-डी, स्कीम नंबर 51, इंदौर (म.प्र.)
4. प्रकाशक का नाम	:	गौरव गुप्ता
क्या भारत का नागरिक है	:	हां
पता	:	80-डी, स्कीम नंबर 51, इंदौर (म.प्र.)
5. संपादक का नाम	:	दीपक गुप्ता
क्या भारत का नागरिक है	:	हां
पता	:	80-डी, स्कीम नंबर 51, इंदौर (म.प्र.)
6. उन व्यक्तियों के नाम व	:	अशर्फीलाल विमलादेवी मीडिया
पते जो समाचार-पत्र के	:	सर्विसेस प्रा.लि.
स्वामी हों तथा जो समस्त	:	401-402 डीएम टॉवर, 21/1
पूंजी के एक प्रतिशत से	:	रेसकोर्स रोड, जंजीरवाला चौराहे
अधिक के साझेदार या	:	के पास इंदौर (म.प्र.)
हिस्सेदार हों	:	

मैं **गौरव गुप्ता** मुद्रक, प्रकाशक एतद द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सही एवं सत्य है।

स्थान : इंदौर (म.प्र.)
दिनांक 01 मार्च, 2025

हस्ताक्षर
(गौरव गुप्ता)
प्रकाशक

प्रकाशक एवं मुद्रक गौरव गुप्ता द्वारा स्वामी अशर्फीलाल विमलादेवी मीडिया सर्विसेस प्रा.लि. के लिए डी. बी. कॉर्प लि., 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एफ, इंडस्ट्रियल एरिया, सांवेर रोड इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 401-402, डी.एम. टॉवर जंजीरवाला चौराहा, इंदौर 452001 से प्रकाशित। संपादक- दीपक गुप्ता, कार्यकारी संपादक-जितेंद्र जाखेटिया*। फोन नंबर-0731-4032200, आर.एन.आई. नं. MPHIN/2013/52898* समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार।